"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 439] रायपुर, सोमवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2017 —— आश्विन 17, शक 1939

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2017 (आश्विन 17, 1939)

अधिसूचना

क्रमांक-9468/वि. स./विधान/2017. —— राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश, दिनांक 25 सितम्बर, 2017 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बलरामजी दास टंडन, राज्यपाल, छत्तीसगढ़, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ की चतुर्थ विधान सभा के तेरहवें सत्र का सत्रावसान तात्कालिक प्रभाव से करता हूं.

स्थान : रायपुर
दिनांक 25 सितम्बर, 2017

बलरामजी दास टंडन
राज्यपाल, छत्तीसगढ़"

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.